कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. - 9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 472/2025

प्रेस-नोट, जनपद आजमगढ़

दिनांक- 30.12.2025

डॉ0 अनिल कुमार, पुलिस वरिष्ठ अधीक्षक, आजमगढ़ के निर्देशन में अपराध व अपराधियों पर अंकुश एवं **प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान के क्रम में आज दिनांक- 30.12.2025 को आजमगढ़ पुलिस द्वारा निम्नवत** कार्यवाहियां की गयी-

प्रेसविज्ञप्ति-

दिनांक : 30.12.2025

थाना : फूलपुर, जनपद : आजमगढ़

थाना फूलपुर पुलिस व बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, टप्पेबाजी/ठगी गिरोह का भंडाफोड़ — एक शातिर अभियुक्त घायल, एक गिरफ्तार, जेवरात, अवैध तमंचा-कारतूस, नकदी व मोटरसाइकिल बरामद।

मुठभेड़ का विवरण:-

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आज़मगढ़ महोदय के निर्देशन में जनपद में चलाए जा रहे सघन रात्रि चेकिंग अभियान के क्रम में दिनांक 30.12.2025 को थाना फूलपुर पुलिस टीम को मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि टप्पेबाजी/ठगी की घटनाओं में संलिप्त 03 शातिर बदमाश बिना नम्बर की हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटरसाइकिल से *दुर्वाषा की ओर से कस्बा फूलपुर* की तरफ आ रहे हैं, जिनके पास ठगी के जेवरात एवं अवैध तमंचा-कारतूस मौजूद हैं।

सूचना पर थानाध्यक्ष फूलपुर श्री सच्चिदानन्द मय पुलिस बल द्वारा घेराबंदी की गई। दुर्वाषा की ओर से तेज गति से आ रही मोटरसाइकिल को रोकने का इशारा किया गया, किंतु बदमाश पुलिस को देखकर बाएँ मुडियार रोड की ओर मुड़कर भागने लगे। इसी दौरान उनकी मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर गिर गई। अपने को घिरता देख बदमाशों द्वारा एक राय होकर पुलिस टीम को गाली-गलौज करते हुए जान से मारने की नीयत से फायरिंग शुरू कर दी गई।

पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में की गई नियंत्रित फायरिंग के दौरान एक बदमाश *राजेश हरिजन पुत्र स्व0 चन्द्रभान निवासी ग्राम रम्मोपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 35 वर्ष)* के *बाएँ पैर* में गोली लगने से घायल हो गया। एक अन्य बदमाश *प्रमोद हरिजन पुत्र स्व0 मधुबन निवासी ग्राम खानजहाँपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ (उम्र लगभग 25 वर्ष)* को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। तीसरा अभियुक्त अंधेरे का लाभ उठाकर फरार हो गया।

➡ घायल अभियुक्त को तत्काल उपचार हेतु सीएचसी फूलपुर भेजा गया, जहाँ से जिला अस्पताल आजमगढ़ रेफर किया गया।

पूर्व की घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक *22.12.2025* को आवेदिका *सुनरा पत्नी दशरथ निवासी चकनूरी, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़* द्वारा थाना फूलपुर पर सूचना दी गई कि दिनांक *20.12.2025* को वह बिजली का बिल जमा कर लगभग *11:00 बजे दिन में* घर लौट रही थी। इसी दौरान *खुरासों मोड़ के आगे दिल्ली दरबार के पास* दो अज्ञात व्यक्तियों द्वारा उसे गुमराह कर बहला-फुसलाकर उसका *मंगलसूत्र (सोने के लॉकेट सहित) एवं कान की बालियाँ* उतरवा ली गईं तथा धोखे से कपड़े में लिपटा कागजों का बंडल थमा दिया गया।

प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना फूलपुर पर *मु0अ0सं0 589/25, धारा 318(4) बीएनएस* बनाम *दो अज्ञात अभियुक्तों* के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया।

घटना स्थल से बरामदगी

1. एक अदद मंगलसूत्र का लॉकेट (पीली धातु)
2. दो अदद कान के टॉप्स (पीली धातु)
3. एक अदद तमंचा .315 बोर
4. एक अदद खोखा कारतूस .315 बोर
5. एक अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर
6. दो अदद मोबाइल मल्टीमीडिया सेट
7. ₹1770/- नकद
8. एक अदद मोटरसाइकिल हीरो स्प्लेण्डर प्लस (बिना नम्बर)

अभियुक्तों का विवरण-

1. ***राजेश हरिजन*** पुत्र चन्द्रभान, निवासी ग्राम रम्मोपुर, थाना दीदारगंज, जनपद आजमगढ़। ***(घायल अवस्था में गिरफ्तार)***
2. ***प्रमोद हरिजन*** पुत्र स्व0 मधुबन, निवासी ग्राम खानजहाँपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़। ***(गिरफ्तार)***

अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

A. *राजेश हरिजन पुत्र चन्द्रभान* *(कुल अभियोग – 09)*

1. **मु0अ0सं0 120/2020**, धारा 393 भादवि, थाना – अतरौलिया, जनपद – आजमगढ़
2. **मु0अ0सं0 91/2021**, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना – दीदारगंज, जनपद – आजमगढ़
3. **मु0अ0सं0 205/2022**, धारा 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना – दीदारगंज, जनपद – आजमगढ़
4. **मु0अ0सं0 37/2013**, धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट, थाना – अतरौलिया, जनपद – आजमगढ़
5. **मु0अ0सं0 420/2008**, धारा 498-A भादवि व 3/4 डीपी एक्ट, थाना – दीदारगंज, जनपद – आजमगढ़
6. **मु0अ0सं0 22/2009**, थाना – अहरौला, जनपद – आजमगढ़
7. **मु0अ0सं0 304/2023**, धारा 60 आबकारी अधिनियम, थाना – दीदारगंज, जनपद – आजमगढ़
8. **मु0अ0सं0 589/2025**, धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना – फूलपुर, जनपद – आजमगढ़
9. **मु0अ0सं0 598/25**, धारा 3(5)/109/352 बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना – फूलपुर, जनपद – आजमगढ़

*B. प्रमोद हरिजन पुत्र स्व0 मधुबन *(कुल अभियोग – 02)**

1. **मु0अ0सं0 589/2025**, धारा 318(4)/317(2) बीएनएस, थाना – फूलपुर, जनपद – आजमगढ़
2. **मु0अ0सं0 598/25**, धारा 3(5)/109/352 बीएनएस व 3/25 शस्त्र अधिनियम, थाना – फूलपुर, जनपद – आजमगढ़

विधिक कार्यवाही-

➡ अभियुक्तों के विरुद्ध थाना फूलपुर पर ***मु0अ0सं0 598/25 धारा 3(5)/109/352 बीएनएस एवं 3/25 शस्त्र अधिनियम*** के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत कर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

➡ घटना स्थल पर फील्ड यूनिट द्वारा वैज्ञानिक साक्ष्य संकलित किए गए।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम-

01. **थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
02. **व0उ0नि0 श्री गंगा राम बिन्द**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
03. **उ0नि0 कलामुद्दीन**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
04. **उ0नि0 अजीज**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
05. **हे0का0 राजीव यादव**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
06. **का0 शिवराम सरोज**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
07. **का0 आदेश यादव**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
08. **का0 अरविन्द तिवारी**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।

09. **का0 ओमप्रकाश पटेल**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
10. **का0 सुनील यादव**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
11. **का0 शिवपाल सिंह यादव**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।
12. **का0 वीरेन्द्र कुमार यादव**, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़।